



प्रेस नोट

दिनांक 04.05.2023

जनपद अम्बेडकरनगर थाना बेवाना पुलिस टीम द्वारा 25,000 रुपए का ईनामिया वंछित एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.05.2023 को थाना बेवाना पुलिस टीम थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थी। मुखविर की सूचना पर मु0अ0स0 01/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर अधिनियम थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त श्यामसुन्दर पुत्र रामप्रसाद नि0 मो0 मीरानपुर थाना कोतवाली अकबरपुर अम्बेडकरनगर को थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया। विदित हो कि सम्बन्धित अभियुक्त 25,000 रुपए का ईनामिया था, जिसकी जनपद पुलिस द्वारा तालाश की जा रही थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

श्यामसुन्दर पुत्र रामप्रसाद नि0 मो0 मीरानपुर थाना कोतवाली अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

विवरण पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 01/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर अधिनियम थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री रामनरेश वर्मा
2. का0 साकेत यादव
- 3- का0 इन्द्रभान यादव